उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-3
संख्याः 2 /2021/ 871/46-3-2021-58(120)/2008
लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2021

शुद्धि पत्र (Corrigendum)

उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्याः 50/2015/2341सी.डी./46-3-58(120)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के हिन्दी संस्करण मे नियम-8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को आयु सीमा 18 वर्ष त्रुटिवश उल्लिखित हो गयी है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में उक्त नियम-8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को आयु सीमा 21 वर्ष उल्लिखित है।

2. अतः उक्त उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्याः 50/2015/2341सी.डी./46-3-58(120) /2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के हिन्दी संस्करण मे नियम-8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को उल्लिखित आयु सीमा ''18 वर्ष'' के स्थान पर ''21 वर्ष'' पढ़ा जाय।

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 2 /2021/ **871(1)/46-3-2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. लखनऊ।
3. कार्मिक नियमावली सेल, कार्मिक विभाग, उ.प्र. शासन।
4. कार्मिक अनुभाग-1, उ.प्र. शासन।
5. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ.प्र. प्रयागराज।
7. सचिव, उ.प्र. अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ.प्र. ऐशबाग, लखनऊ को इस शुद्धि पत्र की एक प्रति सहित, इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 13.07.2021 के असाधारण गजट अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर 100 प्रतियां प्राथमिकता पर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ.रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।